



①

राजस्व निगरानी प्रकरण क्र. : /2017

प्रस्तुति दिनांक : ~~04.2017~~ 05.05.2017

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R 7100 - P B 2-17

महेश पिता स्व. श्री रामकिशन अग्रवाल

उम्र वयस्क, धंधा व्यापार,

निवासी - 160-161, भक्त प्रहलाद नगर,

इन्दौर म.प्र.

— आवेदक/प्रार्थी

विरुद्ध

1- म.प्र. शासन द्वारा उप-पंजीयक

उप जिला-1, पंजीयन कार्यालय,

नवीन कलेक्टोरेट भवन, मोती तबेला, 298

इन्दौर म.प्र.

कार्यालय अन्तर्गत इन्दौर संभाग इन्दौर  
श्री गणेश चमार प्रार्थी/अभिनाथक द्वारा दिनांक 05.05.2017  
को प्रस्तुत।

05-05-2017

अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

2- गोपी पिता श्री जगन्नाथ चमार,

उम्र वयस्क, व्यवसाय कृषि

निवासी ग्राम सिमरोल, तहसील महू,

जिला इन्दौर

— प्रत्यर्थागण/रेस्पाडेन्ट/  
अनावेदकगण

No of copy  
21.05.2017  
V.W.R.

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

सहपठित प्राक्धान भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं मध्यप्रदेश

लिखितों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975

माननीय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स,  
इन्दौर द्वारा धारा 33 इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एवं सहपठित प्राक्धान  
म.प्र. लिखितों के न्यून मूल्यांकन निवारण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत  
पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 32-बी-103/14-15/33 में पारित आदेश  
दिनांक 27.02.2017 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका माननीय  
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

न.प्र. 2017/100

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

9

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक

R7100-PR-17

तहसील

मन्दा

विरुद्ध

श्रीमान

जिला

इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक</p> <p>के विरुद्ध श्री <u>विजयलक्ष्मी</u></p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाध्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ ..... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>आवेदनकर्ता को जोर से सूचना उपरोक्त कोई उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगावाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अइम चैटवी में खारिज किया जाता है।</p>	

21-6-17

21-6-17

20-

अध्यक्ष

[ पीछे देखिये ]